प्रश्न सं. [क्र. 733]

विधान सभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 733

परिशिष्ट

बचत सह राहत योजना(लाईवलीहुड एण्ड न्यूट्रिशनल सपोर्ट)

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनान्तर्गत संचालित 'बचत सह राहत' योजना बन्द ऋतु अवधि मे मछुआरो को आर्थिक सहायता देने के उद्येश्य से राज्य मे लागू की गई है। योजना मे मछुआ सहकारी समिति के सक्रिय सदस्य जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले हो के द्वारा माह सितम्बर से माह मई तक कुल 09 माह मे रूपये 1500/- बैंक/पोस्ट आफिस जमा कराया जाता है। इसके समतुल्य राशि रूपये 1500/- राज्य शासन द्वारा तथा रूपये 1500/- केन्द्र शासन द्वारा कुल राशि रूपये 4500/- हितग्राहियो को बन्द ऋतु अवधि मे प्रदान की जाती है। वर्ष 2020-21 मे 9902 मछुओ को राशि रूपये 297.00 लाख की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई गई है।

आजीविका सहयोग योजना(डेफर्ड वेजेस योजना)

मध्य प्रदेश मत्स्य महासंघ सहकारी मर्यादित द्वारा संचालित योजना के तहत क्रियाशील मत्स्य सहकारी समिति/समूह के सदस्यो द्वारा आखेटित मछली पर रूपये 4.00 प्रति किलो की दर से राशि उनके मत्स्याखेट प्रतिफल से काटी जाकर उतनी ही राशि (रूपये 4.00 प्रति किलो) महासंघ द्वारा मिला कर कुल राशि रूपये 8.00 प्रति किलो के मान से बन्द ऋतु के दौरान एक या दो किश्तो मे मछुओ को भुगतान की जाती है। वर्ष 2020-21 मे राशि रूपये 143.17 लाख महासंघ अंश का भुगतान किया जा चुका है।

27.7.2021

संचालक मत्स्योदयोग
मध्य प्रदेश

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
मछुआ कल्याण विभाग